न्यायलय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एंव सहायक श्रमायुक्त
मोदी नगर रोड हापुड जनपद हापुड

पत्रांक 863-55

दिनॉक 8-3-19

वाद संख्या EC.A....7/2019 2 लि०

श्रीमति अलीमा रजी पत्नी स्व० आसिफ व 2 अन्य समस्त निवासी गण- ग्राम कंडेड़ा कला तहसील धौलाना जिला हापुड़
—वादनी

बनाम
(1)- मै० ओला मालीक टैक्नोलोजिस प्रा०लि० प्लाट न० 86, उद्योग विहार फेज-1 गुडगावा हरियाणा - 122001
(2) बजाज एलियांज ज०इं० कं० लि० द्वारा रीजनल प्रबन्धक कार्यालय हजरत गंज लखनऊ यू० पी०
—विपक्षीगण

चुंकि वादी ने आपके विरूद्ध मजदुरी / अनुतोषिक / क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए वाद के संस्थित किया है वाद पत्र की प्रति संलग्न है ।

अतएव आपको एतद आहूत किया जाता है कि आप या तो स्वंय या ऐसे अभिवक्ता द्वारा जो सम्यक रूपेण अनुदिर्ष्ट हो और वाद सम्बन्धो सभी सरावान प्रश्नों के उत्तर देने में सर्मथ हो, या जिसके साथ ऐसा व्यकित हो जो सभी प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो मेरे समक्ष दिनॉक 25.3.19 को 2 बजे अपरान्त दावे का उत्तर लिखित देने के लिए उपस्थित हो तथा आप वह सभी सबूत गवाह आदि जो आपको इस वाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत करने हों लेकर उपस्थिति हो

ध्यान रहे पूर्व वणित दिवस एंव समय पर आपकी उपस्थिति में कोई चूक पर वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना जायेगा और अवधारित कर दिया जायेगा

मेरे हस्ताक्षर एवं मुदा सहित आप दिनॉक 08.3.19...... को निकाला गया ।

(हस्ताक्षर)
(सुमाल चन्द्र)

आयुक्त
कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923
एवं सहायक श्रमायुक्त, हापुड़

न्यायालय कर्मचारी प्रतिकार आयुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त हापुड़।

वाद ई0सी0ए0 सं0–   7/ सन 2019

1. श्रीमती अदीबा रजी पत्नी स्व0 आसिफ आयु करीब 20 वर्ष (पत्नी मृतक)
2. अलीजा पुत्री स्व0 आसिफ आयु करीब 7 माह (पुत्री मृतक) ना0प्रा0सं0द्वारा माता स्वयं
3. फ़जर मौहम्मद पुत्र श्री काले आयु करीब 67 वर्ष (पिता मृतक)

निवासीगण– ग्राम बझैड़ा कलां, तहसील धौलाना, जिला हापुड़।   ———प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. मैसर्स ओला फलीट टैक्नोलोजिस प्रा0लि0 प्लाट नं0–86, उद्योग विहार फेज–1 गुड़गांवा, हरियाणा। पिन– 122001 (स्वामी कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4937)
2. बजाज एलियांज ज0इं0कं0लि0 द्वारा लीगल प्रबन्धक कार्यालय हजरत गंज लखनऊ। (बीमा कम्पनी कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4937)   ———विपक्षीगण

श्रीमान जी,

<u>प्रार्थीगण/वादीगण निम्नलिखित कथन करते हैं –</u>

1. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 का पति मृतक आसिफ पुत्र श्री फजर मौहम्मद निवासी– ग्राम बझैड़ा कलां, तहसील धौलाना, जिला हापुड विपक्षी सं0–1 के वाहन कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4937 पर चालक के रूप में कार्य करता था।
2. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 का पति मृतक आसिफ दिनांक 12–02–2019 को रात करीब 9 बजे वाहन कार/कैब सं0– H.R.55AD- 4937 से बुकिंग लेकर कहीं जा रहा था। तब बदमाशो द्वारा प्रार्थनी/वादनी के पति की गाड़ी लूटने के मकसद से मृतक चालक आसिफ को व्हील पाना आदि से मारकर उसके शव को गुलावठी के पास गन्ने के खेत में डालकर गाड़ी को एटा लेकर गये जहां अभियुक्त श्रीमती राधा द्वारा गाड़ी बेचने का प्रयास किया गया। जब किसी ने गाड़ी नहीं खरीदी तो तो पकड़े जाने के डर से गाड़ी को लावारिश हालत में छोड़कर भाग गये। प्रार्थनी/वादनी के पति की लाश दिनांक 20–02–2019 को थाना गुलावठी क्षेत्र में बरामद हुई थी।
3. यह कि उक्त घटना की रिपोर्ट मु0अ0सं0– 123/2019 में सरकार बनाम मोहित शर्मा आदि अं0धारा– 302,201,396,412 आई0पी0सी0 में थाना– फेस–2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर पर तयमूर के द्वारा दर्ज करायी गयी थी।
4. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के पति मृतक आसिफ की आयु उक्त घटना के समय 22 वर्ष थी वह उक्त घटना के समय एक स्वस्थ व मेहनती युवक था।

5. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के पति मृतक आसिफ को उसकी सेवा के बदले विपक्षी सं0–1 वेतन के रूप में अंकन 12,000/–रूपये प्रतिमाह देते थे।
6. यह कि मृतक आसिफ की मृत्युपरान्त उक्त वाद में वादीगण ही वैध वारिस व आश्रित हैं। मृतक आसिफ के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी डी0एल0 था।
7. यह कि विपक्षी सं0–1 को उक्त घटना की जानकारी घटना दिनांक से है तथा प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के द्वारा विपक्षी सं0–1 व 2 से मौखिक रूप से क्षतिपूर्ति की मांग की थी, जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकला था।
8. यह कि प्रार्थनी/वादनी सं0–1 के द्वारा उक्त वाद में विपक्षी सं0–2 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है क्योंकि वाहन कार/कैब सं0– **H.R.55AD- 4937** विपक्षी सं0–2 के यहां से बीमित था।
9. यह कि विपक्षी सं0–1 के वाहन कार/कैब सं0– **H.R.55AD- 4937** पर उक्त घटना के समय समस्त कागजात वैध एवं प्रभावी थे।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थीगण/वादीगण को कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति धनराशि अंकन 8,00,000/–रूपये मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से घटना दिनांक से रूपया अदायगी की दिनांक तक दिलाये जाने की कृपा करें।

<u>प्रमाणीकरण –</u>

हम प्रार्थीगण/वादीगण प्रमाणित करते हैं कि उक्त वाद पत्र का समस्त कथन हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सब सत्य है ईश्वर हमारा साक्षी है। प्रमाणित स्थान–हापुड़।

प्रार्थीगण/वादीगण

दिनांक 06–03–2019

द्वारा अधिवक्ता –

अमजद अली एडवोकेट
चै0नं0–216, सिविल कोर्ट हापुड़।
M- 9215228777